बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संं0सं0— 1/विविध—39/2018 — 1040(1) /स्वा0, पटना, दिनांक— 19/9/2018

बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 की कंडिका—6 के आलोक में, राज्य में पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थानों की स्थापना की अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विशेषज्ञ समिति का गठन करते हुए संस्थान का स्थल निरीक्षण कराया जाता है।

2— समिति का स्वरूप पूर्व से निर्धारित नहीं रहने के कारण अलग—अलग स्वरूप के निरीक्षण समिति के गठन की संभावना बनी रहती है।

3— वर्णितस्थिति में पारा मेडिकल/पारा डेन्टल संस्थानों के स्थल निरीक्षण हेतु समिति गठन में एकरूपता बनाये रखने हेतु विशेषज्ञ समिति/निरीक्षण समिति का स्वरूप निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है —

(क) नये संस्थान की स्थापना हेतु —

(i) संस्थान के निकटवर्ती चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य — अध्यक्ष
(ii) निकटवर्ती चिकित्सा महाविद्यालय के आवेदित विषयों के विभागाध्यक्ष (अधिकतम तीन) — सदस्य
(iii) स्थानीय सिविल सर्जन — सदस्य
(iv) स्थानीय जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि — सदस्य

समिति को 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने की बाध्यता होगी।

(ख) पाठ्यक्रमों/पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रमों के सीटों में वृद्धि/अवधि विस्तार के मामले में— नये संस्थानों के अनुरूप (उपर्युक्त कंडिका—"क") ही इस समिति का भी स्वरूप होगा। इन्हें भी तीस दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने की बाध्यता होगी।

(ग) त्रुटियों के निराकरण की सम्पुष्टि/वार्षिक औचक निरीक्षण हेतु निरीक्षण समिति का गठन — मुख्यालय के निदेशालय स्तर के दो पदाधिकारी को नामित करते हुए समिति का गठन होगा।

इन्हें सात कार्य दिवसों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने की बाध्यता होगी।

4— इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

18/09/2018

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–39/2018– 10401(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19/9/2018

प्रतिलिपिः– संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/09/2018

सरकार के अवर सचिव